न्यायालय– विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, द्वितीय पटना।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–4376 / 25
रामकृष्णा नगर थाना कांड संख्या–653 / 2025

01.11.2025

आवेदक अभियुक्त **रवि कुमार यादव, पिता–अनील कुमार उर्फ अनील यादव, 2.विनय कुमार, पिता–विजय ठाकुर उर्फ विजय शर्मा** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से संचालित किया गया है। सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तों का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास अंकित नही है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन की कहानी झूठा है। आवेदक अभियुक्तों का संबंधित घटना से कोई सरोकार नहीं है। उसे गलत नियत से सह अभियुक्त एवं पुलिस द्वारा फंसाया गया है। आवेदक का नाम सह अभियुक्त के बयान से आया है। आवेदक अभियुक्तों के पास से कोई बरामदगी नही है। बिहार उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम, की धारा 37 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B)a/26,27,35 आवेदकों के विरूद्ध लागू नही होता है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। उन्होने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध बिहार उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम, की धारा 37 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B)a/26,27,35 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार वाद के सूचक को सूचना मिली कि मधुबन कॉलनी में गोली बारी की घटना धटित हुई है। उपरोक्त सूचना के आधार पर सूचक जब घ टनास्थल पर पहुँचा तो देखा कि एक 112 गश्ती टीम के द्वारा एक व्यक्ति को नशे की हालत में पकड़ा हुए है। स्थानीय लोगो द्वारा बताया गया कि पकड़ाए हुए व्यक्ति एवं उसके साथी द्वारा झगड़ा झंझट करते हुए फायरिंग किया गया है। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम मुन्ना कुमार उर्फ अरमान बताया। उसके द्वारा बताया गया कि वेलोग जिनमें 1 कमलेश कुमार 2 विक्रन्त यादव 3 नीतीश कुमार 4 चिन्नी उर्फ गौतम कुमार **5 विनय कुमार 6 रवि कुमार लगभग 10–12 लोग सभी मिलकर मधुवन कोलनी के अर्द्धनिर्मित मकान में शराब पी रहे थे** । उसी दौरान आपसी विवाद को लेकर **विक्रान्त यादव, कमलेश कुमार, चिन्नी उर्फ गौतम कुमार के द्वारा यही पर गोली चलाई गई।** उक्त स्थल की पुलिस बल द्वारा तलाशी लेने पर दो खोखा जिसके पेंदी पर 8 एम0 एम0 के0 एफ0 लिखा हुए एवं दो खोखा जिसके पेंदी पर 7.65 के0 एफ0 लिखा हुए बरामद हुए । **उक्त अर्द्धनिर्मित मकान की तलाशी लेने पर बेलेन्डर 750 एम0 एल0 के तीन खाली बोतल एवं एक माउन्ट ओक 180 एम0 एल0 का एक खाली प्लास्टिक का बोतल एवं अन्य सामान की बरामदगी की बात कही जाती है।** आवेदक अभियुक्तों पर शराब सेवन कर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर कथित घटना को कारित करने का अभियोग है। बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है। अतः चूंकि आवेदक अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है। इसलिए आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन को पोषणीय नहीं होने के कारण **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

ह0
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद द्वितीय,